न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

हीराराम बनाम सुरजाराम आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक सन

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
05.11.2019	पत्रावली प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 151 सीपीसी पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 4 फौत हो चुके हैं जिनके वारिसान को बतौर रेस्पोडेण्ट पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट की ख. नं. 323 की 4 बीघा भूमि को मातहत अदालत के निर्णय द्वारा गैर कानूनी ढंग से कलमजन की गई है इसलिए रेस्पोडेण्ट के वारिसान को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 4 दूसरे गांव के व्यक्ति हैं प्रार्थी अपीलाण्ट को उनकी मृत्यु का ज्ञान नहीं रहा तथा अपीलाण्ट अनपढ व वृद्ध व्यक्ति है उसे कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नही रहा है। अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 24.11.2012 को बतलाया गया पुनः नोटिस प्राप्त कर रिपोर्ट के विषय में बतलाया तब बिना किसी देरी के आज दिनांक 19.12.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है इससे पूर्व काफी समय से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रहा है इसलिए प्रार्थना–पत्र सदभावना पर आधारित है तथा ज्ञान से अन्दर मियाद हैं। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे रेस्पोडेण्ट स 2 व 4 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2018 पेज 370, 2018 (2) आरएलडबल्यू पेज 1299, 2018 (2) आरएलडबल्यू पेज 1052 2010 (2) आरएलडबल्यू पेज 1049, 2012 (1) आरआरटी पेज 182 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट सं0 3 का कथन है कि रेस्पोडेण्ट सं0 2 कुरड़ाराम दिनांक 20.11.2015 को फौत हो गया है रेस्पोडेण्ट संख्या 4 भादरराम दिनांक 22.05.2015 को फौत हो गया है। अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट के देहान्त होने का मृत्यु के समय से ही ज्ञान था। प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र. में गलत बयानी स्वीकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 4 फौत होने के बाद उसकी पत्नी बादामी उसकी वारिस थी। बादामी भी फौत हो चुकी है उसने अपनी मृत्यु से पहले वादग्रस्त भूमि समेस्ता पत्नी जैसाराम, नौरंगलाल पुत्र जैसाराम व गंगाराम पुत्र रामनिवास जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर को वसीयत कर दी थी	

संख्या 2 व 4 का ज्ञान मृत्यु के समय से ही था अपीलाण्ट को ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट दोनों खेत पड़ौसी हैं तथा आपास में काफी आना जाना है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर रेस्पोडेण्ट नं. 2 व 4 के वारिसान को पक्षकार कायम नहीं किये इसलिए अपील अबेट हो चुकी है। अपील अबेट फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 1995 (2) पेज 193, आरआरडी 2005 नेज 764, डीएनजे एससी 1999 पेज 164, डीएनजे एससी 1997 पेज 49 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 कुरड़ाराम दिनांक 20.11.2015 एवं रेस्पोडेण्ट सं0 4 भादरराम दिनांक 22.05.2015 को फौत हो चुका है। जिसकी सूचना रेस्पोडेण्ट संख्या 3 जेसाराम के अधिवक्ता ने जरिये प्रार्थना–पत्र बाबत अबेट दिनांक 05.06.2018 को दी थी। अपीलाण्ट ने मृतक रेस्पोडेण्ट के वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु दिनांक 19.12.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो रेस्पोडेण्ट के फौत होने के लगभग 3 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। मृतक की मृत्यु दिनांक से 90 दिन मे विधिक प्रतिनिधि के अभिलेख पर लाये जाने सम्बंधी कार्यवाही की जानी आवश्यक है। यह परिसीमा नब्बे दिन की मृतक के मृत्यु दिनांक से मानी जाती है उसके समबन्ध में ज्ञान होने की दिनांक से नही मानी जाती है। इस अवधि में अगर कार्यवाही किसी विशेष कारण से नहीं की गई तो उसके बाद 60 दिन की अवधि और दी गई है साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ भी आवेदक प्राप्त कर सकता है। अपीलाण्ट ने विलम्ब के लिए क्षमा याचना की है लेकिन विलम्ब का जो कारण दिया गया है कि अपीलाण्ट ने पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकने का कारण दिया है जो डिले कन्डोन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण चस्पा नही होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट अबेट हो चुकी है। प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:32:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: